कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 433/2ई0 दिनांक 04/03/2025

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– बागेश्वर में बनलेख मउडियार ग्वातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.41 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाइन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD /11434/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण एवं मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/262/2015/2015/एफ0सी0/601 दिनांक 31.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्रांक सं0 2044/FP/UK/ROAD /11434/2015 दिनांक 01.03.2023 द्वारा प्रस्ताव विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियॉ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियॉ	आख्या
1	On the perusal of KML it is observed that the road cutting work has been carried out on a different aligement other than the approved alignment in between the year of 2019 to 2021 Hence, the concemed DFO shall submit his comments against the road cutting work has been carried out as per the approved alignment in between year of 2019 to 2021.	उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव बागेश्वर दोफाड धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी0 27 एवं किमी0 33 से प्रारम्भ होता है। वर्तमान में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 2.50 किमी0 पहाड कटान कार्य बागेश्वर दोफाड धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी0 27 से एवं 5.00 किमी0 किमी0 पहाड कटान का कार्य किमी0 33 से किया गया है। अवशेष पहाड कटान हेतु आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव FP/UK/ROAD /11434/2015 पूर्व में आफलाइन भारत सरकार, पर्यावरण एवं मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून प्रेषित किया गया था। जिसमें मोटर मार्ग के दोनों प्रारम्भिक बिन्दु थें (गूगल मैप की छायाप्रति संलग्न)। महोदय यह भी अवगत कराना है कि लैण्ड शैडूयल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि, पेड़ों की गणना, वृक्षों का छपान कटान आदि दोनों प्रारम्भिक बिन्दुओं से स्वीकृत समरेखण में ही किया गया है। परन्तु वर्ष 2015 में प्रस्ताव ऑनलाइन करते समय त्रुटिवश KML.File में केवल 1 ही प्रारम्भिक बिन्दु (बागेश्वर दोफाड धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी0 33 से) दर्शाया गया था। महोदय उक्त त्रुटि तकनीकी भूल के कारण हुई। साथ ही यह भी अवगत कराना है उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में FC Act 1980 के अधीन की किया गया है व सभी सैद्वान्तिक स्वीकृति के शर्तो का अनुपालन किया गया। अतः उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

	The Sate Govt. is requested to submit the copy of notification regarding declaration of the CA area as RF/PF.	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।

उक्त के अतिरिक्त आपके कार्यालय पत्रांक सं0 4215/12–1–2 बागेश्वर दिनांक 15.03.2024 द्वारा रु0 15,35606.00 का अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि नयी दरों जमा करने के निर्देश दिये गये थें जिसके कम में इस कार्यालय द्वारा रु0 15,35606.00 एन0पी0वी0 की धनराशि वाउचर सं0 40 दिनांक 10.07.2024 द्वारा जमा कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय
04/03/25
(इं0 अमित कुमार पटेल)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0,कपकोट
04-03-2025

पत्रांक 433/2ई0 दिनांक 04/03/2025 O/C

प्रतिलिपिः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को अपने स्तर से विधिवत स्वीकृति हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. सहायक अभियन्ता प्रथम लो0नि0वि0 कपकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04/03/25
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0,कपकोट
04-03-2025

O/C